रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3310] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 9, 2019/आश्विन 17, 1941
No. 3310] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 9, 2019/ASVINA 17, 1941

indiacode

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 2019

का.आ. 3631(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में तारीख 28 दिसम्बर, 2017 को प्रकाशित भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 4097 (अ), तारीख 27 दिसम्बर, 2017, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, -

(क) पैरा 1 में, खंड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"भारतीय मानक 16102 (भाग 1) के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो का लाइसेंस प्रमाणन चिह्न आवश्यक है।";

(ख) पैरा 3 में,

(i) उप-पैरा(3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(3) स्टार लेबल वाले सेल्फ बालास्टेड एलईडी लैम्प निम्नलिखित स्टार स्तर पैरामीटरों के अनुसार, ल्युमिनस फ्लक्स (ल्यूमिन),वॉटेज (वॉट) और ल्युमिनस क्षमता (ल्यूमन / वॉट), के आधार पर विहित किए जाएंगे, जिन्हें सारणी 3.1 या सारणी 3.2, से विनिर्माण या आयात या बिक्री के वर्ष के आधार पर प्राप्त किया जाएगा जैसा सारणी 'क' के आधार पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा और ल्युमिनस क्षमता (ल्यूमन / वॉट) का उपयोग स्टार रेटिंग बैंड और मॉडल की स्टार रेटिंग का अवधारण करने में किया जाएगा, अर्थात्:—

ल्युमिनस क्षमता (ल्यूमन / वॉट) = ल्युमिनस फ्लक्स (ल्युमन) / वॉटेज (वॉट)

सारणी क

क्र. सं.	उत्पाद विनिर्माण या आयात या बिक्री की अवधि	उत्पाद के लिए स्टार स्तर अवधारित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सारणी
(1)	(2)	(3)
1.	1 जनवरी, 2018 से 30 जून, 2020 तक	3.1
2.	1 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2023 तक	3.2

सारणी 3.1

1 जनवरी, 2018 से 30 जून, 2020 तक स्टार स्तर वैधता

क्र. सं.	स्टार रेटिंग बैंड	ल्युमिनस क्षमता (ल्यूमन / वॉट)
(1)	(2)	(3)
1.	1 स्टार *	≥68 और <79–फ्रीज़
2.	2 स्टार **	≥79 और <90
3.	3 स्टार ***	≥90 और <105
4.	4 स्टार ****	≥105 और <120
5.	5 स्टार *****	≥120

सारणी 3.2

1 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2023 तक स्टार स्तर वैधता

क्र. सं.	स्टार रेटिंग बैंड	ल्युमिनस क्षमता (ल्यूमन / वॉट)
(1)	(2)	(3)
1.	1 स्टार *	≥79 और <90 –फ्रीज़
2.	2 स्टार **	≥90 और <105
3.	3 स्टार ***	≥105 और <120
4.	4 स्टार ****	≥120 और <135
5.	5 स्टार *****	≥135 ";

(ii) उप-पैरा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(4) सारणी 3.1 और सारणी 3.2 में विनिर्दिष्ट 1 स्टार के लिए सेल्फ बालास्टेड एलईडी लैम्प पर विवरणों को प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसे प्रत्येक सारणी के लिए निर्दिष्ट किया गया है, ताकि उक्त सेल्फ बालास्टेड एलईडी लैम्प के न्यूनतम ऊर्जा निष्पादन स्तर को उन्नत किया जा सके।

(iii) उप-पैरा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(5) स्टार लेवल योजना की समीक्षा सारणी 3.2 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के समापन से पहले की जाएगी और इसके बाद प्रत्येक तीन वर्ष में स्टार लेवल योजना की समीक्षा की जाएगी।" ।

[फा. सं. 21/14/2019--ईसी]

राज पाल, आर्थिक सलाहकार

IndiaCode

टिप्पणी : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधरण, भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में का.आ. सं. 4097(अ), तारीख 27 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चातवर्ती संशोधन का.आ. सं. 938(अ), तारीख 21 फरवरी, 2019 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2019

S.O. 3631(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Power number S.O. 4097 (E), dated the 27th December, 2017 published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 28th December, 2017, namely:—

In the said notification,-

(a) in paragraph 1, for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely:-

"(iii) have Bureau of Indian Standards license mark certification in accordance with Indian Standard 16102 (Part 1).";

(b) in paragraph 3,-

(i) for sub-paragraph (3), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(3) The star level of the self-ballasted LED lamps shall be determined on the basis of star level parameters, luminous flux (lumens), wattage (watts) and luminous efficacy (lumen/ watt), which shall be obtained from Table 3.1 or Table 3.2, depending on the year of manufacturing or import or sale as specified in Table A and the luminous efficacy (lumen/watt) shall be used to determine the star rating band and star rating of model, namely:—

Luminous Efficacy (Lumen/Watt) = Luminous Flux (Lumen)/ wattage (Watt)

TABLE A

S.No.	Period of product manufacturing or import or sale	Table to be used for determining star level to a product
(1)	(2)	(3)
1.	From 1st January, 2018 to 30th June, 2020	3.1
2.	From 1st July, 2020 to 30th June, 2023	3.2

TABLE 3.1
Star level valid from 1st January, 2018 to 30th June, 2020

S. No.	Star rating band	Luminous Efficacy (Lumen/Watt)
(1)	(2)	(3)
1.	1 Star *	≥68 and <79 –Freeze
2.	2 Star **	≥79 and <90
3.	3 Star ***	≥90 and <105
4.	4 Star ****	≥105 and <120
5.	5 Star *****	≥120

TABLE 3.2
Star level valid from 1st July, 2020 to 30th June, 2023

S. No.	Star rating band	Luminous Efficacy (Lumen/Watt)
(1)	(2)	(3)
1.	1 Star *	≥79 and <90 –Freeze
2.	2 Star **	≥90 and <105
3.	3 Star ***	≥105 and <120
4.	4 Star ****	≥120 and <135
5.	5 Star *****	≥135.”;

(iv) for sub-paragraph (4), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

“(4) The permission for display of particulars on self-ballasted LED lamps for 1 star specified in Table 3.1 and Table 3.2 shall not be permitted for the validity period so specified for each table, with a view to upgrade the minimum energy performance level of such self-ballasted LED lamps.”;

(v) for sub-paragraph (5), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

“(5) The star level plan shall be reviewed before the expiry of the period specified under Table 3.2 and thereafter, the star level plan shall be reviewed every three years.”.

[F. No. 21/14/2019-EC]

RAJ PAL, Economic Advisor

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 4097(E), dated the 27th December, 2017 and subsequently amended vide notification number S.O. 938 (E), dated the 21st February, 2019.

MyGovCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.10.09 21:59:59 +05'30'